रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 1989/श्रावण 20, 1911
No. 32] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 1939/SRAVANA 20, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1989

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1989

आ.अ०73 (अ) :- भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29 क, और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 और 10 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :— (1) इस आदेश का नाम निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1989 है।

(2) यह भारत के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. पैरा 7 का संशोधन :– निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 में, पैरा 7 में, उपपैरा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरे रखे जायेंगे , अर्थात् :–

"(2) उप पैरा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हर एक राजनैतिक दल, जो 15 जून, 1989 के अव्यवहित पूर्व से एक राष्ट्रीय दल है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन अपना रजिस्ट्रेलन होने पर एक राष्ट्रीय दल रहेगा ,और इस आदेश के अन्तउपबन्धों के अध्यधीन वह तब तक ऐसा बना रहेगा, जब तक कि वह उक्त तारीख के पश्चात हुए किसी साधारण निवाचन के परिणामस्वरुप राष्ट्रीय दल नहीं रह जाता ।

"(3) उप परा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हर एक राजनैतिक दल , जो 15 जून, 1989 के अव्यवहित पूर्व किसी राज्य में राज्यीय दल है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अधीन अपना रजिस्ट्रेशन होने पर उस राज्य में एक राज्यीय दल बन जायेगा और इस आदेश के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन वह तब तक ऐसा बना रहेगा जब तक कि वह उक्त तारीख के पश्चात हुए किसी साधारण निर्वाचन के परिणामस्वरुप उस राज्य में राज्यीय दल नहीं रह जाता।

आदेश से

[सं. 56/89]

बलवन्त सिंह, सचिव,
भारत निर्वाचन

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 11th August, 1989

THE ELECTION SYMBOLS (RESERVATION AND ALLOTMENT) (SECOND AMENDMENT) ORDER, 1989

O. N. 73 (E) :—In exercise of the powers conferred by article 324 of the Constitution, read with section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951). and rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, and all other powers enabling it in this behalf, the Election Commission of India hereby makes the following Order further to amend the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Election Symbols (Reservation and Allotment) (Second Amendment) Order, 1989.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India.

2. Amendment of paragraph 7.—In the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, in paragraph 7, for sub-paragraphs (2) and (3), the ollowing sub-paragraphs shall be substituted, namely :—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-poragraph (1), every political party which, immediately before the 15th day of June, 1989 is a National Party, shall, on its registration under section 29A of the Representation of the People Act, 1951, be a National party and shall, subject to the other provisions of this Order continue to be so until it ceases to be a National party on the result of any general election held after the said date.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), every political party which, immediately before the 15th day of June, 1989, is a State party in a State, shall, on its registration under section 29A of the Representation of the People Act, 1951, be a State party in that State and shall, subject to the other provisions of this Order, continue to be so until it ceases to be a State party in that State on the result of any general election held after the said date."

By Order,

[No. 56|89]

BALWANT SINGH, Secy.
Election Commission of India

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989